[21/12/2022]

परिशिष्ट–1

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक –987, प्रश्न सं. [क्र. 987] **माननीय विधायक श्री जयवर्द्धन सिंह**

पंजीकृत वाहनों/जारी स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की संख्या, जारी किए गए कार्डों की संख्या एवं शेष कार्डों की संख्या की जानकारी

क्र	कार्यालय का नाम	पंजीकृत वाहनों की संख्या	जारी किए गए पंजीयन कार्डों की संख्या	शेष पंजीयन कार्डों की संख्या	जारी किए गए स्थायी लाइसेंस की संख्या	जारी किए गए स्थायी लाइसेंस कार्डों की संख्या	शेष लाइसेंस कार्डों की संख्या
1	इंदौर	324879	309075	15804	232920	232920	निरंक
2	भोपाल	174087	171559	2528	55296	53798	1498
3	ग्वालियर	137898	133186	4712	57436	57436	निरंक
4	जबलपुर	145571	145043	528	74772	73905	867
5	राजगढ़	53531	52642	889	20883	20883	निरंक
6	गुना	55251	54581	670	13283	13283	निरंक
	योग	**891217**	**866086**	**25131**	**454590**	**452225**	**3232**

परिवहन आयुक्त
मध्यप्रदेश

परन्तु इस धारा की कोई बात ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं किसी व्यवहारी के कब्जे में के मोटर यान को लागू नहीं होग।

40. रजिस्ट्रीकरण कहां किया जाना है -- धारा 42, धारा 43 और धारा 60 के उपबंधो के अधीन रहते हुए, प्रत्येक मोटर यान का स्वामी यान को उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से रजिस्टर करवाएगा जिसकी अधिकारिता में उसका निवास-स्थान या कारबार का स्थान है जहां कि यान आमतौर पर रखा जाता है।

41. रजिस्ट्रीकरण कैसे होता है -- (1) मोटर यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा और उसके साथ ऐसी दस्तावेजों, विशिष्टियाँ और जानकारी दी हुई होगी और वह ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु जहां मोटर यान संयुक्त रूप से एक से अधिक व्यक्तियों के स्वामित्वाधीन है, वहां आवेदन सभी स्वामियों की ओर से एक स्वामी द्वारा किया जाएगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे आवेदक को ऐसे मोटर यान का स्वामी समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस मोटर यान के, जिसे उसने रजिस्टर किया हो, स्वामी को, एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ऐसे प्ररूप में देगा और उसमें ऐसी विशिष्टियाँ और जानकारी दी हुई होगी और वह ऐसी रीति में होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(4) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र में सम्मिलित की जाने के लिए अपेक्षित अन्य विशिष्टियों के अतिरिक्त, वह उस मोटर यान का प्रकार भी विनिर्दिष्ट करेगा जो ऐसे प्रकार का है जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान के डिजाइन, निर्माण और उपयोग को ध्यान में रखते हुए, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(5) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र की विशिष्टियाँ एक रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा जिसे ऐसे प्ररूप और रीति में रखा जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(6) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस यान में प्रदर्शित किए जाने के लिए उस यान को (इस अधिनियम में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के रूप में निर्दिष्ट) एक पहचान चिन्ह देगा जो ऐसे अक्षर समूहों में से किसी एक समूह से मिलकर बनेगा और उसके पश्चात् ऐसे अक्षर और अंक होंगे जो केन्द्रीय सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा उस राज्य को समय-समय पर आबंटित करती है, और उन्हें मोटर यान पर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में प्रदर्शित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(7) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् परिवहन यान से भिन्न मोटर यान के बारे में उपधारा (3) के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे प्रमाण-पत्र के दिए जाने की तारीख से केवल पंद्रह वर्ष की अवधि तक विधिमान्य रहेगा और उसका नवीकरण किया जा सकेगा।

(8) परिवहन यान से भिन्न मोटर यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्ररूप में किया जाएगा और उसमें ऐसी विशिष्टियाँ और जानकारी होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(9) उपधारा (8) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(10) धारा 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उपधारा (8) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण पांच वर्ष की अवधि के लिए कर सकेगा

(ण) ... चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा धारा 30 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्रों का दिया जाना और ऐसे प्रमाण पत्रों का प्ररूप;

... जिनके अधीन रहते हुए और वह विस्तार जिस तक अन्य राज्य में दी गई कंडक्टर अनुज्ञप्ति राज्य में प्रभावी होगा;

(ट) कंडक्टर अनुज्ञप्तियों की विशिष्टियों की एक प्राधिकारी से अन्य प्राधिकारियों को संसूचना; और

(ठ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए।

अध्याय 4

मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण

39. रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता.—किसी सार्वजनिक स्थान में अथवा किसी अन्य स्थान में किसी मोटर यान को कोई व्यक्ति तभी चलाएगा और कोई मोटर यान का स्वामी तभी चलवाएगा या चलाने की अनुज्ञा देगा जब वह यान इस अध्याय के अनुसार रजिस्ट्रीकृत हो तथा यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द न किया गया हो या यान पर रजिस्ट्रीकरण चिह्न विहित रीति से प्रदर्शित हो :

परंतु इस धारा की कोई बात ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं किसी व्यवहारी के कब्जे में के मोटर यान को लागू नहीं होगी।

40. रजिस्ट्रीकरण कहां किया जाना है.—धारा 42, धारा 43 और धारा 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक मोटर यान का स्वामी यान को उस [1][राज्य में कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी] से ... करवाएगा जिसकी अधिकारिता में उसका निवास-स्थान या कारबार का स्थान है जहां कि यान आम तौर पर रखा जाता है।

41. रजिस्ट्रीकरण कैसे होना है.—(1) मोटर यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा और उसके साथ ऐसी दस्तावेजें, विशिष्टियां और जानकारी दी हुई होंगी और वह ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं :

परंतु जहां मोटर यान संयुक्त रूप से एक से अधिक व्यक्तियों के स्वामित्वधीन है, वहां आवेदन सभी स्वामियों की ओर से एक स्वामी द्वारा किया जाएगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे आवेदक को ऐसे मोटर यान का स्वामी समझा जाएगा :

[2][परंतु यह और कि नए मोटर यान की दशा में राज्य में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे मोटर यान के डीलर द्वारा किया जाएगा, यदि नए मोटर यान को उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत किया जा रहा है जिसमें डीलर अवस्थित है।]

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी [3][स्वामी के नाम से एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र] ऐसे प्ररूप में देगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां और जानकारी दी हुई होगी और वह ऐसी रीति में होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

---

1. अधिनियम क्र० 32 सन् 2019, धारा 16 द्वारा "रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्र० 32 सन् 2019, धारा 17(i), द्वारा अंतःस्थापित।
3. अधिनियम क्र० 32 सन् 2019, धारा 17(ii), द्वारा "उस मोटर यान के, जिसे उसने रजिस्टर किया हो, स्वामी को एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।